



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

"प्रभावी पैरवी कर अवैध गांजा की तस्करी करने वाले अभियुक्त को **06 माह का कारावास व 5,000/-रुपए के अर्थदंड** की सजा दिलाई गई।,



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना जलालपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 216/2021, धारा- 8/20 एनडीपीएस एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय एफटीसी द्वितीय/गैंगस्टर एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त **दिनेश निषाद पुत्र श्रीकिशन** निवासी कटेहरी थाना जलालपुर जनपद हमीरपुर को **06 माह का कारावास व 5,000/-रुपए के अर्थदंड** से दण्डित किया गया।



ADGC श्री प्रवीण
भदौरिया



विवेचक
उ0नि0 श्री वकील
अहमद



पैरोकार थाना जलालपुर
का0 रवि तेवतिया